

## 'बाली उमर' के प्यार पर उच्चतम न्यायालय की मुहर

नई दिल्ली। रूढ़िवादी समाज से दो-दो हाथ कर शादी करने वाले एक प्रेमी युगल आखिरकार तीन साल बाद एक हो गए। यह मिलन किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कराया है। इस मिलन में देरी की वजह युवती का नाबालिग होना था और यह बाधा हटते ही शीर्षस्थ अदालत ने इस प्रेमी युगल को साथ रहने की हरी झंडी दे दी। युवक और युवती उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले हैं।



न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने महेश (काल्पनिक नाम) को अपनी प्रेमिका राधा (काल्पनिक नाम) के साथ वैवाहिक जीवन बिताने की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत में मामला लंबित रहने तक युवती लखनऊ के नारी निकेतन में रह रही थी। बहराइच निवासी महेश और राधा का घर आमने-सामने था। राधा नाबालिग थी, जबकि महेश बालिग। महेश की उम्र उस वक्त करीब 21 साल की थी। दोनों में प्यार हुआ।

बात शादी तक जा पहुंची।

लेकिन, दोनों के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आपत्ति की सबसे बड़ी वजह उनका अलग-अलग जाति का होना है। महेश दलित है जबकि राधा सवर्ण। इसके बाद दोनों ने अपना घर बसाने का निर्णय लिया और दोनों ने वर्ष 2011 में मंदिर में सात फेरे ले लिए। यह बात युवती के परिवारवालों को बेहद नागवार गुजरी और शादी के करीब एक महीने बाद उन्होंने युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद पुलिस ने महेश को हिरासत में ले लिया।

कई महीने सलाखों के पीछे

बिताने के बाद आखिरकार महेश को जमानत मिल गई। राधा के यह कहने के बाद भी कि वह अपनी मर्जी से महेश के साथ गई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा निरस्त करने से इनकार कर दिया। लिहाजा महेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महेश के वकील दुष्यंत पराशर ने युवक-युवती की पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख दी।

इसके बाद वर्ष 2013 में शीर्ष अदालत ने न केवल महेश के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी बल्कि राधा को लखनऊ के नारी निकेतन में रहने का आदेश दिया।

घरवालों की प्रताड़ना से बचाने के लिए अदालत ने ऐसा निर्णय लिया था। इस महीने राधा बालिग हो गई। महेश के वकील पराशर ने यह जानकारी शीर्ष अदालत तक पहुंचाते हुए उसको बरी करने की गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने दोनों की शादी को स्वीति प्रदान करने की गुहार की, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया।

## पिता के नाम के बगैर जारी करो पासपोर्ट : हाई कोर्ट

नई दिल्ली: माता-पिता के बीच तलाक के बाद अगर पिता का बच्चे के साथ कोई संबंध नहीं रहा है तो पिता के नाम के बगैर बच्चे का पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए मां को हलफनामा देना होगा कि अगर वह भविष्य में दोबारा शादी करती है तो वह पासपोर्ट विभाग को सूचित करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में पासपोर्ट विभाग को पिता के नाम का कॉलम खाली छोड़ते हुए बच्ची का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने दिल्ली की रहने वाली एक बच्ची की याचिका पर जारी किया है। 12 साल की बच्ची ने मां के जरिये याचिका दाखिल कर पिता के नाम के बगैर पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि बच्ची के माता-पिता के बीच सहमति से तलाक हो चुका है। तीसहजारी अदालत ने तलाक की डिक्री भी जारी की

है। तलाक के समय माता-पिता के बीच अधिकारों को लेकर हुए आपसी समझौते में साफ कहा गया है कि बच्ची मां के पास ही रहेगी और पिता कभी उसकी कस्टडी नहीं मांगेंगे और न ही कभी बच्ची से मिलने के अधिकार का दावा करेंगे। मुकेश की दलील थी कि ऐसी स्थिति में पासपोर्ट विभाग को अपने 21 अप्रैल, 1999 के सर्कुलर का पालन करना चाहिए जिसके मुताबिक मां से हलफनामा लेकर पिता के नाम का कॉलम खाली छोड़ते हुए बच्ची का पासपोर्ट जारी होना चाहिए था।

मां ने पासपोर्ट विभाग में हलफनामे के साथ ज्ञापन दिया था इसके बावजूद विभाग ने पिता के नाम के साथ पासपोर्ट जारी कर दिया। वकील ने दलील के समर्थन में हाई कोर्ट के इशमान मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया था जिसमें ऐसा ही आदेश दिया गया था। पासपोर्ट विभाग की दलील थी कि पिता के नाम के बगैर पासपोर्ट तभी जारी किया जा सकता है जबकि जन्म के बाद से पिता ने संपर्क न किया हो।

## काउन्टर-रिज्वाइन्डर

○ प्रचेता

- बंदी— तू क्यों इतना मायूस बैठी है?
- बबली— मेरा डानू अनशन कर बैठा है दाना पानी नहीं ले रहा है।
- बंदी— क्यों?
- बबली— ज़िद पर अड़ गया है कि उसे 'महाभारत रत्न' चाहिए।
- बंदी— महाभारत रत्न?
- बबली— हां हां महाभारत रत्न
- बंदी— जितने तरह के पुरस्कार सुने हैं उसमें तो इसका कोई जिक्र नहीं है।
- बबली— हर चीज कभी न कभी तो पहली ही बार होती है। अब वह नया पुरस्कार चाहता है तो क्या करूं बहुत समझाया मान ही नहीं रहा।
- बंदी— अरे, उससे कहो कुछ 'यल भारती' 'श्री भूषण' 'स्वास्थ्य रत्न' वगैरह लेकर मान जाय। सबसे बड़ा सम्मान 'स्वास्थ्य रत्न' लेके खत्म करे।
- बबली— कहा था मान ही नहीं रहा।
- बंदी— उससे कहो जब अभी ऐसा कोई सम्मान/पुरस्कार बना ही नहीं तो कैसे दे दिया जायेगा?
- बबली— वह कहता है नियम बनाए नये पुरस्कार/सम्मान के लिए क्यों कि जितने इस समय है ये मेरी हैसियत के हिसाब से छोटे हैं।
- बंदी— क्यों?
- बबली— कहता है जब गिल्ली-डंडा वालों को पुरस्कार/सम्मान देने के लिए रातोंरात नियम बदले जा सकते हैं तो मैं तो उनसे श्रेष्ठ हूँ मेरे लिए क्यों नहीं।
- बंदी— गिल्ली-डंडा?
- बबली— तू एलीडी के जमाने में ट्यूब लाइट क्यों हो रहा है? पुराना गिल्ली डंडा ही तो आज का क्रिकेट है।
- बंदी— मुझे लगता है उसमें यह डिमाण्ड उस सिद्धान्त को ध्यान में रख कर किया है कि तोप का लाइसेंस मांगोगे तब जाकर कहीं बंदूक का मिलेगा।
- बबली— नहीं उसका तर्क है कि जब तेल पानी बेचने वालों, भ्रष्ट नेताओं विभिन्न क्षेत्रों के चाटुकारों को अंधा बांटे रेवड़ी की तर्ज पर दिया जाता है तो मेरे जैसे चरित्रवान, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रभक्त के लिए इनको लेना अपनी बेइज्जती कराना है।
- बंदी— ये डानू है कौन?
- बबली— लो, सारी रामायण खत्म हो गयी अब पूछ रहे हो रावण कौन था? डानू मेरा डोंगी है
- बंदी— डोंगी और महाभारत रत्न की मांग।
- बबली— चौंक क्यों रहे हो?
- बंदी— डोंग को यह कैसे दिया जा सकता है?
- बबली— हां भई वह कहता है हमको नौकरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है पेंशन मिलती है रैंक मिलती है। दुर्भाग्य है कि यहां हैं अमेरिका में होते तो यहां के टॉप सिक्यूरिटी से भी ज्यादा मेरी वकत होती अभी ओबामा आये थे तो देखा था ना यहां की सिक्योरिटी से ज्यादा ओबामा के

## विवाह पंजीकरण नियमावली लागू करो - उच्च न्यायालय

इलाहाबाद। विवाह पंजीकरण नियमावली लागू करने के लिए उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन महीने की समय सीमा दी है। नियमावली का मसौदा गत सात वर्षों से तैयार है, लेकिन इसे लागू करने पर निर्णय नहीं लिया जा सका। इधर विवाह पंजीकरण के मामलों में आए दिन हो रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार को सख्त हिदायत दी है कि वह तीन माह के भीतर कैबिनेट निर्णय लेकर नियमावली लागू कर दे। कोर्ट ने इस

आदेश की प्रति मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को अनुपालन हेतु भेजने का निर्देश दिया है।

एटा की रूबी और अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एस.पी. केशरवानी के समक्ष विवाह पंजीकरण में हो रहे फर्जीवाड़ों के कई प्रकरण आए। अदालत ने कहा कि नाबालिग रहते हुए बालिक बनाकर शादी रचाने, पहले से विवाहित होने के बावजूद अविवाहित दिखाकर पुनः विवाह कर

लेने जैसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं लोग इन फर्जी दस्तावेजों के बूते हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल कर रहे हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि प्रदेश में अभी तक विवाह पंजीकरण की नियमावली लागू नहीं की है।

प्रदेश सरकार के मुख्य स्थायी अधिकारिका ने अदालत के समक्ष नियमावली का मसौदा भी प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को आश्वासन दिया कि नियमावली का मसौदा बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री इसे सैद्धांतिक

रूप से मंजूरी दे चुके हैं। कैबिनेट में इसे अंतिम रूप देकर जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। तथा विवाह पंजीकरण नियमावली सहित अन्य नियमावलियों को भी वेबसाइट बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि पंजीकरण की व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे और जनता को आसानी से उपलब्ध हो सके।

प्रदेश सरकार द्वारा तैयार नई विवाह पंजीकरण नियमावली सुप्रीमकोर्ट द्वारा सीमा बनाम अश्वजी केस में दी गई गाइड लाइन के क्रम में

तैयार की गई है। इसमें विवाह पंजीकरण के नियमों के अलावा फर्जीवाड़ा करने या गलत सूचनाएं देने पर दंड की व्यवस्था भी है। इसके अतिरिक्त बिना सहमति के विवाह पर रोक, नाबालिग के विवाह पर रोक, विवाहित के दूसरी शादी पर रोक सहित विवाह की आड़ में विदेशियों के हाथों लड़कियों को बेचने से रोकने के प्रावधान किए गए हैं। नई नियमावली लागू होने के बाद विवाह संबंधी विवादों में काफी कमी आ जाएगी तथा व्यवस्था पारदर्शी होगी।